



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002
दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक: 1878/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईओ-4

दिनांक: 15.10.2018

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्रम सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय/स्थान	नवतैनाती कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1.	श्री आशु, अधिशाली अभियन्ता	परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, पिटकुल, हल्द्वानी	परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, पिटकुल, रुडकी
2.	श्री एस०डी० शर्मा, अधिशाली अभियन्ता	परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, पिटकुल, रुडकी	परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, पिटकुल, हल्द्वानी

नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह स्थानान्तरित अधिकारियों को स्थानीय व्यवस्था के तहत तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

श्री एस०डी० शर्मा, अधिशाली अभियन्ता, श्री आशु, अधिशाली अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त कार्यभार के रूप में निवर्हन किये जा रहें अधिशाली अभियन्ता, स्काडा, हल्द्वानी के कार्यभार को अतिरिक्त कार्यभार के रूप में ग्रहण कर उन्हें उक्त अतिरिक्त कार्यभार से अवमुक्त करेंगे जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक अनुमन्य नहीं होगा।

श्री आशु, अधिशाली अभियन्ता का स्थानान्तरण उनके अनुरोध पर किये जाने के कारण उनको स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

उपर्युक्त आदेश प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहें हैं जो तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

निदेशक (मा०सं०)

पत्रांक : 1878/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईओ-4 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सहायक-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक (वित्त)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून।
3. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, पिटकुल,।
4. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल.....।
5. सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता, पिटकुल.....।
6. उपमहाप्रबन्धक (आई०टी०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि त्रिष्यगत आदेश को कारपोरेशन की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अधिकारी/व्यक्तिक पत्रावली।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा०सं०)